



# कृषि निदेशालय, बिहार, पटना।



द्वितीय तल, नया सचिवालय, विकास भवन, बेली रोड, पटना-800015

दूरभाष :- 0612-2215895, वेबसाइट- krishi.bih.nic.in ई-मेल- diragri-bih@nic.in, diragri.bih@gmail.com

संचिका/पत्र संख्या-09/उपा0बीज0अनु0-46/2019 1578

कृ०, पटना, दिनांक...19/03/20

## कार्यालय आदेश

मेसर्स विभा एग्रोटेक प्रा० लि०, हैदराबाद, प्रो०-कुन्दन कुमार पाण्डेय, द्वारा-श्री पंकज कुमार, पता-बागदुल्हन, पोस्ट-हाजीपुर, जिला-वैशाली, के बीज अनुज्ञप्ति हेतु प्राप्त प्रस्ताव, कोषागार चालान, जिला कृषि पदाधिकारी, वैशाली, से प्राप्त स्थल जांच प्रतिवेदन एवं अन्य सुसंगत कागजातों के आधार पर बिहार राज्य में बीज बेचने के लिए निम्नलिखित शर्तों के अधीन क्रमांक-7 के लिए पंजीकरण किया जाता है:-

1. बीज अधिनियम 1966 के सभी धाराओं को आप पूरा-पूरा पालन करेंगे।
2. बीज बिक्री एवं भंडारण का प्रतिवेदन विहित प्रपत्र में कृषि निदेशालय को हर माह के 20 तारीख तक भेजें। निर्धारित समय पर प्रतिवेदन नहीं प्राप्त होने पर पंजीकरण रद्द कर दिया जायेगा।
3. बीज नियंत्रण आदेश 1983 के अंतर्गत घोषित बीज निरीक्षक समय-समय पर बीज नमूना जाँच के लिए लेंगे।
4. हर बिक्री के लिए अलग पंजीकरण कर दें। बिक्री केन्द्रों की संख्या में यदि वृद्धि करें तो उसकी सूचना क्षेत्रीय कृषि पदाधिकारी को देते हुए उसकी पंजीकरण के लिए 15 दिनों के अंदर आवेदन पत्र दें अन्यथा अवैध ढंग से व्यापार करने पर पंजीकरण रद्द कर दिया जायेगा।
5. बीज बिक्री हेतु बीज विक्रेता नियुक्त कर सकते हैं।
6. पंजीकरण प्रमाण पत्र संख्या...04/2020...संलग्न है।
7. राज्य के लिए केवल अनुशंसित/अधिसूचित बीज का ही व्यापार संलग्न सूची के अनुसार करेंगे।
8. पंजीकरण की वैधता तिथि...18/03/2020...तक मान्य है।
9. कृषि निदेशालय के पत्रांक 2408 दिनांक 09.06.2017 से राज्य में रिसर्च फसल प्रभेदों की बिक्री प्रतिबंधित की गई है, जिसका अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

संचिका संख्या-09/उपा0बीज0अनु0-46/2019 के पृ०...10.../टि० पर दिनांक...18/03/2020...के प्रस्ताव में कृषि निदेशक, बिहार, पटना का अनुमोदन प्राप्त है।  
अनुलग्नक :-यथोक्त।

विश्वासभाजन,

(डॉ० ब्रजेश कुमार),

संयुक्त निदेशक (शष्य) उपादान,  
बिहार, पटना।

सि.स.

## कृषि निदेशालय, बिहार, पटना।

मेसर्स विभा एग्रो टेक लि०, के द्वारा बिहार राज्य में निम्न फसल प्रभेदों का व्यवसाय किया जाएगा।

पत्रांक: 1578

दिनांक: 19-3-20


### LIST OF SEEDS

क्र०	फसल का नाम	प्रभेद का नाम
1	MAIZE (HYBRID)	VMH-4105,
2	SUNFLOWER (HYBRID)	CLEO(VSFH-1008), CLARA (VSFH-1006)
3	WHEAT (HYBRID)	RUSHI (VBW-1801)
4	SSG (HYBRID)	PEARL, VSSGH-514, CORAL

- कृषि निदेशालय के ज्ञापांक-2408 दिनांक 09.06.2017 से राज्य में रिसर्च फसल प्रभेदों की बिक्री प्रतिबंधित की गई है जिसका अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

02

81

  
(डा० ब्रजेश कुमार)

संयुक्त निदेशक (शष्य), उपादान  
कृषि निदेशालय, बिहार, पटना।

शुभ



सत्यमेव जयते

FORM 'B'

(See Clause 5)

LICENCE TO CARRY ON BUSINESS OF A DEALER IN SEEDS

Licence No 04/2020 Date 19-3-2020

Subject to the provisions of seed (Control) Order, 1983 and to the terms and conditions of the licence Sri मेसर्स विभा एग्रोटेक प्रा0 लि0, हैदराबाद is hereby granted licence to sell, export, import and store for the said purposes of seeds.

2. The licensee shall carry on the afore-said business at मेसर्स विभा एग्रोटेक प्रा0 लि0, हैदराबाद, प्रो0-कुन्दन कुमार पाण्डेय, द्वारा-श्री पंकज कुमार, पता-बागदुल्हन, पोस्ट-हाजीपुर, जिला-वैशाली, the details of boundary of places for storage and sale appear below.

Table with 2 columns: Place of Sale and Place of Storage. It details the location of the business and storage, including addresses and boundaries.

Signature :  
Name :

(Dr. Brajesh Kumar)

Joint Director (Agronomy) Input  
Signature of the Licensing officer Seal  
Authority vide order of Director of Agriculture  
On dated- 18-3-2020 in file No. 09/Input.Seed lic.  
46/2019 Note Sheet page No- 10  
Bihar, Patna

TERMS AND CONDITIONS OF LICENCE

- 1. The license shall be displayed at a prominent and conspicuous place in a part of the business premises open to the public.
2. The holder of the license shall comply with the provisions of the seed (Control) order, 1983 and the notifications issued there under and for the time being in force.
3. This licensee comes into force with immediate effect and shall be valid up to 18/03/2025 (18th march 2025) Unless previously cancelled or suspended.
4. The holder of the license shall from time to time report to the licensing authority and change in the premises where he carries on his business of sale, export, import or storage for the said purposes seeds.
5. The licensee shall give every facility to the licensing authority or any other officer acting under his authority for the purpose of inspecting his stock in any shop, depot or godown or other place/places used by him for the purpose of storage, sale or export of seed.
6. Separate license should be obtain if business is carried more than one place (For each place separately)

Handwritten signature and initials at the bottom left.